अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

बी0एल0डी0आर0 अपील वाद संख्याः 104 / 2013

कृष्णा देवी एवं अन्य — अपीलार्थीगण

वनाम

राज्य एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स / विपक्षीगण

—::आदेश::—

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बीरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकः 17.01.2013 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 179 / 2012 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि मौजाः दुर्गापुर, अंचलः राधोपुर अन्तर्गत खाता 54 पू0, चक खातः 170, खेसराः पु0170 / 29, चक खेसरा 16 रकबा 1.03 डी0 जमीन पूर्व में बिहारी मंडल सा0 दुर्गापुर की थी। बिहारी मंडल उक्त जमीन बाबू लाल चौधरी के हाथ केवाला संख्या 1611 दिनांक 30.11.1911 द्वारा फरोख्त किया गया वो उनके भाई चुन्नी लाल चौधरी वो महपत चौधरी की संयुक्त एराजियत में थी। प्रश्नगंत जमीन के साथ खेसरा 29 के रकबा 01.10.03 धूर जमीन महमत चौधरी के खास हिस्सा में जाना बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि महपत चौधरी स्वर्गवासी हो गये एवं पीछे तीन पुत्र यथा छत्रधारी चौधरी, भागवत चौधरी वो भैरव प्रसाद चौधरी को छोड गये वो दिनांक 24.0519.67 को आपसी बँटवारा होना बतलाते हैं।अपीलार्थी / वादी जागेश्वर चौधरी कामेश्वर चौधरी का वारिसान हैं। प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी शिवनन्दन चौधरी अपने नाम से गलत रूप से दर्ज करवा लिये। प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पूर्वज के एराजियत थी बतलाते हैं। हाल सर्वे कार्यवाही के दौरान राजस्व पदाधिकारी, भैरव चौधरी के नाम से खाता दर्ज करने का आदेश दिया गया वो चकबंदी कार्यवाही के दौरान प्रश्नगत जमीन का चक खाता भैरव चौधरी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी / वादी के हिस्सेदार संजय कुमार जयसवाल एक कट्ठा जमीन

वासुदेव चौधरी के हाथ फरोख्त कर दिया वो संजय कुमार जयसवाल द्वारा पुनः एक कट्ठा जमीन सीता देवी के हाथ बिकी कर दिया वो अपीलार्थी /वादी के हिस्सेदार घनश्याम चौधरी द्वारा 2 कट्ठा जमीन कमल देवी के हाथ फरोख्त किया गया वो धनश्याम चौधरी द्वारा पुनः 1 कट्ठा जमीन विश्वनाथ साह को बिकी किया वो पुनः अपीलार्थी /वादी के हिस्सेदार मुरली प्रसाद चौधरी द्वारा एक कट्ठा जमीन शंकर साह को और एक कट्ठा शंभू साह को बिकी किया गया । दोनों खरीददार के नाम से जमाबंदी कायम है, वो अपीलार्थी/वादी के बंशज के अन्य हिस्सेदार छत्रधारी चौधरी के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के हाथ जमीन फरोख्त किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि प्रतिवादी सुरेश प्रसाद यादव द्वारा 2 कट्ठा 9 धूर, पूनम भारती द्वारा 0.0.16 धूर जमीन वो सीता जायसवाल द्वारा 16 धूर जमीन वो नंद कुमार जयसवाल द्वारा मवाजी 2 कट्ठा 9 धूर जमीन शिवनंदन चौधरी से केवाला करवाना बतलाते हैं।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में आपुसी बॅटवारानामा तारीख 24.05.1976 ई0 निस्वत खाता 54, खेसरा 29 रकबा 1 बी0 10 के0 3 धूर की छाया प्रति , केवाला संख्या 1677 दिनांक 30.11.11 तामिल द्वारा बिहारी मडर पिता काशी मडर मौजा दुर्गापुर पक्ष में पूर्व अपीलार्थी बाबूलाल चौधरी महपत चौधरी वो चुन्नी लाल चौधरी की छाया प्रति नकल बजाप्ता खतियान मौजा दुर्गापुर थाना नं0 119 खाता पुराना 54 हाल खाता 127 नाम से अपीलार्थी के पूर्व वो हिस्सेदारान – सर्वे का नोट फाइनल खतियान भैरव चौधरी वगैरह की छाया प्रति, नकल बजाप्ता फारम 61 कबूलनामा शिवनन्दन चौधरी पिता कपूरचन्द चौधरी सा0 – अन्दौली द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन निस्वत Relinquishment of Land खाता 54 पु0 नया 127 खेसरा पु0 29 नया नम्बर 16, 20, 21, 22 वो 23 की छाया प्रति, सूचना प्रपत्र निस्वत सर्वे खतियान मौजा दुर्गापुर नाम से भेरव चौधरी वगैर वो चकबन्दी सम्पुष्टि का प्रमाण दिनांक 02.03.84 की छाया प्रति, सूचना आवेदन प्रपत्र निस्वत भेस्टिंग रिटर्न वो रिटर्न नाम से रैयत शिवनन्दन चौधरी को बनावटी/कूटरचित साबित करने का प्रमाण की छाया प्रति एवं अपीलाथ्र्ज्ञी के हिस्सेदरान द्वारा विवादी खाता 54 पु0 नया 170 खेसरा 29 पु0 नया 16, 20, 21, 22 वो 23 को दिगर – दिगर व्यक्तियों को बिकी किए गए केवालाओं कौर रसीद की छाया प्रतियॉ दाखिल किया गया है।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत वाद भूमि वाद अनुसूची 1 से 4 तक जिसका खाता 54 खेसरा पुराना 29 नया 16 कुल रकबा 6 कट्ठा 10 धूर दर्ज किया गया है जिसका चौहद्दी अलग अलग है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि प्रश्नगत खेसरा का कुल रकबा 2.10–6 धूर भैरव चौधरी के नाम थी कुल रकबा 2.10.6 धूर में से 1 बीघा 10 कट्ठा 3 धूर जमीन शिव नन्दन चौधरी को हस्तानान्तरित कर दिया और वे अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा कर लगान अदा करने लगे। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व जमीनदार भैरव प्रसाद चौधरी ने प्रश्नगत जमीन सहित रकबा 1.10.3 धूर का रिटर्न शिवनन्दन चौधरी के नाम दाखिल किया वो उनके नाम बिहार सरकार के सिरिस्ता में जमाबंदी चलने लगी।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि शिवनन्दन चौधरी एक मात्र पुत्र नरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये और वे सहरसा पूरब बाजार में धर बना कर रह रहे हैं। आगे यह भी कथन करते हैं कि नरेन्द्र प्रसाद जायसवाल की कुल जमीन प्रतिवादियों ने बेचने की बात पक्की कर लिया और प्रतिवादी को मौखिक खरीदगार के आधार पर नापी जोखी कर दखल दे दिया

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि नरेन्द्र प्रसाद जायसवाल उपरोक्त जमीन का विकय पत्र दस्तावेज संख्या 4321 दिनांक 18.06.12 द्वारा नंद कुमार जयसवाल वो विकय पत्र दस्तावेज संख्या 4320 दिनांक 20.06.12 वो विकय पत्र दस्तावेज संख्या 4229 दिनांक

18.06.12 द्वारा विभिन्न प्रतिवादियों के हाथ केवाला तामिल कर दिया । सभी खरीदार नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र अंचल अधिकारी राघोपुर के समक्ष दाखिल किया वो दखल कब्जा के आधार पर प्रतिवादीगण के नाम नामान्तरण स्वीकृत किया गया वो सभी खरीददार के नाम शिवनन्दन चौधरी के नाम से चल रही जमाबंदी नं0 108 से खारिज होकर जमाबंदी नं0 670 रकबा 2 कट्ठा 9 धूर नंद कुमार जायसवाल वो जमाबंदी संख्या 666 रकबा 16 धूर रीता जायसवाल वो जमाबंदी नं0 667 रकबा 16 धूर पूनम भारती, ज0 नं0 671 रकबा 2 कट्ठा 9 धूर सुरेश प्रसाद यादव के नाम किया गया है।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी/वादी का कथन है कि दिनांक 24.05.67 में आपसी बँटवारा हुआ और उक्त जमीन का जमाबंदी गलत रूप से शिवनन्दन चौधरी के नाम दर्ज होना गलत है जबकि प्रश्नगत जमीन की जमाबंदी शिवनन्दन चौधरी के नाम से वर्ष 1955–56 से चल रही है।

निम्न न्यायालय द्वारा वाद भूमि पर प्रतिवादीगण का दखल कब्जा मकान मय सहन के आधार पर वादी के वाद अर्जी को अस्वीकृत किया गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। अपील वाद अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।
लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा